

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 655 / 2015
संस्थित दिनांक-18.11.2015**

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
ठीकरी, जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रु द्ध

मांगीलाल पिता भिखाजी परिहार,
उम्र 50 वर्ष, निवासी चितावल थाना ठीकरी,
जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	-	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	-	श्री जे0पी0गुप्ता अधिवक्ता ।

--:: नि र्ण य ::--
(आज दिनांक 23 / 12 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 329/15 के आधार पर दिनांक 21.10.2015 को 9:30 बजे स्थान चितावल ठीकरी लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2097 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कुमारी तमन्ना को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य करने के लिये भा.द.वि. की धारा- 279 का अभियोग है ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते है, कुमारी तमन्ना शांतिलाल की पुत्री है तथा आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अव्यस्क आहत तमन्ना की ओर से उसके पिता शांतिलाल की ओर से राजीनामा पेश किया है। जिसके आधार पर आरोपी को भा.द.सं की धारा 338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2015 को रात्रि 08.00 बजे आहत तमन्ना अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में गरबा देखने जा रही थी तभी वाहन ट्रेक्टर का चालक अभियुक्त मांगीलाल ने उसकी ट्रेक्टर वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व आहत तमन्ना को टक्कर मार दी जिससे तमन्ना को बाये हाथ, बाये गाल पर व दोनों घुटनों में चोट आई। उसे इलाज के लिये ठीकरी अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उसे इलाज के लिये साई बाबा जीवन धारा अस्पताल बड़वानी ले जाया गया तथा उसकी सूचना थाना बड़वानी को भेजी गई। उसकी जाँच करने पर घटना स्थल थाना ठीकरी होने से थाना ठीकरी में अप.क्र. 329/15 दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण कराया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर नक्शामौका बनाया। आरोपी से उक्त वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2097 के दस्तावेज और उसकी चालन अनुज्ञप्ति जप्त की तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी का भादवि की धारा- 279 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। दफ्तर की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 21.10.2015 को रात्रि 9:30 बजे स्थान चितावल ठीकरी लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2097 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कुमारी तमन्ना का जीवन संकटापन करके उसे उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य किया ?

:-सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में शांतिलाल (असा.02) का कथन है कि वह आरोपी मांगीलाल को जानता है, तमन्ना उसकी पुत्री है लगभग 2 वर्ष पूर्व गरबा देखने मंदिर जा रही थी तभी उसे किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी उसने टेक्टर के चालक और उसका नंबर नहीं देखा था उसने पुलिस को घटना स्थल बताया था। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उपस्थित आरोपी ने टेक्टर को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी पुत्री को टक्कर मार दी थी। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.02 का कथन देने से भी इंकार किया। साक्षी यह स्वीकार किया कि अपनी अव्यस्क पुत्री की ओर से आरोपी से राजीनामा कर लिया है लेकिन इस बात से इंकार किया कि राजीनामा होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

07. तमन्ना (असा.03), ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, साक्षी का केवल इतना कथन है कि वह दो वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 8.00 बजे मंदिर जा रही थी तभी टेक्टर के चालक ने टेक्टर को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी था उसने टेक्टर के चालक का तथा वाहन का नंबर नहीं देखा। इस साक्षी सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने उसे टेक्टर तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। इस साक्षी ने भी पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से इंकार किया तथा अपने पिता द्वारा आरोपी से राजीनामा करना स्वीकार किया।

08. संजीव पाटील (असा.04) का कथन है कि दिनांक 31.10.2015 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 329/15 धारा 279, 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियुक्त मांगीलाल के विरुद्ध विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने आहत तमन्ना साक्षीगण शांतिलाल, सुनीता, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने शांतिलाल के निशादेही पर नक्शामौका प्र0पी.02 बनाया था उसने आरोपी के द्वारा पेश करने पर एक नीले रंग का टेक्टर नंबर एम.पी.46 ए 2097 तथा उसके दस्तावेज प्र.पी. 04 के अनुसार जप्त किये थे। उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था तथा फरियादी के मेडीकल संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये थे।

09. अशोक वर्मा अ0सा0 1 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 329/15 में जप्त टेक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 2097 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर उसमें कोई भी खराबी नहीं होना पाई थी। साक्षी ने अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.01 भी प्रमाणित किया है।

10. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना, दिनांक, स्थान और समय पर उक्त टेक्टर क्रमांक एम.पी.46 ए 2097 लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर कुमारी तमन्ना पिता शांतिलाल को मारकर उसका जीवन संकटापन्न करने का कोई भी कथन नहीं किया तथा आहत के पिता ने आरोपी से राजीनामा भी किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 279 या अन्य कोई भी प्रमाणित नहीं होता है।

11. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी मांगीलाल पिता भिखाजी परिहार आयु 50 साल निवासी चितावल थाना ठीकरी जिला बड़वानी म.प्र. को भा.द.वि. की धारा- 297 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

12. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2097 उसके स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर दिया गया है, अतः सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही/-

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही/-

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.